

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 05, गुरूवार, शाके 1943-फरवरी 24, 2022 Phalguna 05, Thursday, Saka 1943-February 24, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयप्र, फरवरी 24, 2022

जी.एस.आर.418 राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खण्ड (x) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक चौथाई" के स्थान पर अभिव्यक्ति "75 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/3एफ/3587] राज्यपाल के आदेश से.

> महेन्द्र कुमार खींची, संयुक्त शासन सचिव।

TRANSPORT & ROAD SAFETY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2022

G.S.R.418.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the

following amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 Dated 10.07.2019, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In clause (x) of proviso of the said notification, for the existing expression "1/4th", the expression "75 percent" shall be substituted.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2022-23/3F/3587] By Order of the Governor,

Mahendra Kumar Khinchi, **Joint Secretary to the Government.**

Government Central Press, Jaipur.